



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/ 4780

दिनांक :- 23/12/2016

-:: विज्ञप्ति (अल्पकालीन) ::-

नगर विकास न्यास, कोटा में कन्सल्टेन्ट पैनल का गठन

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा निम्न कार्य के लिये कन्सल्टेन्ट पैनल के गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म / व्यक्ति की वांछित योग्यता	निविदा शुल्क (रु०) (Non Refundable)
1.	लैंड स्केप प्रोजेक्ट जैसे पार्क, चौराहा, मय ज्योमेट्रिक डिजाइन, शमशान, कब्रिस्तान एवं अन्य सौन्दर्यकरण कार्य।	बी. आर्किटेक्चर / एम. आर्किटेक्चर/बी. प्लान/ एम प्लान	500.00

अन्य शर्तें :-

1. कार्य का विस्तृत विवरण एवं शर्तें आदि नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट <https://www.uitkota.org>, <http://urban.rajasthan.gov.in> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in>, पर एवं न्यास के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
2. उपरोक्तानुसार कन्सल्टेन्ट की तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है अथवा कन्सल्टेन्ट फर्म में उपरोक्तानुसार तकनीकी योग्यता रखने वाले तकनीकीविज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होना आवश्यक होगी।
3. उक्त कार्य हेतु आपसी सहमति अनुसार कार्य अवधि के दौरान निःशुल्क एवं सशुल्क विजिट देनी होगी एवं कार्य की डिजाईन अनुसार क्रियान्वयन एवं प्रगति के सम्बन्ध में आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
4. आर्किटेक्चर/टाउन प्लानर का काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर/इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
5. पैनल निर्धारण पश्चात् कार्य की प्रकृति अनुसार, कार्य के आवंटन का अधिकार न्यास में सुरक्षित होगा।
6. पैनल निर्धारण के पश्चात् भी अतिरिक्त कन्सल्टेन्ट को न्यास द्वारा पैनल में जोड़ा जा सकेगा।
7. प्रारंभ में न्यास द्वारा पैनल दो वर्ष के लिये बनाया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार इसे नियमानुसार आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकेगा।

जो वास्तुविद्/टाउन प्लानर/फर्म उपरोक्तानुसार कार्य करने के इच्छुक हों वे निर्धारित योग्यता, अनुभव सहित दिनांक 09.01.2017 तक दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अधिसाषी अभियन्ता प्रथम
नगर विकास न्यास, कोटा



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/ 4780

दिनांक :- 23/12/2016

-:: विज्ञप्ति (अल्पकालीन) ::-

नगर विकास न्यास, कोटा में कन्सल्टेन्ट पैनल का गठन

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा निम्न कार्य के लिये कन्सल्टेन्ट पैनल के गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म / व्यक्ति की वांछित योग्यता	निविदा शुल्क (रु०) (Non Refundable)	कन्सल्टेन्सी दर प्रस्ताव
1.	लैण्ड स्केप प्रोजेक्ट जैसे पार्क, चौराहा, मय ज्योमेट्रिक डिजाइन, शमशान, कब्रिस्तान एवं अन्य सौन्दर्यकरण कार्य।	बी. आर्किटेक्चर / एम. आर्किटेक्चर/बी. प्लान/ एम प्लान	500.00	दर (अनुमानित लागत का प्रतिशत)

कार्य हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले कन्सल्टेन्ट से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पैनल का निर्धारण किया जावेगा। पैनल में चयन होने पर निम्नानुसार शर्तों पर कार्य करना होगा :-

- (अ) 5000/- अमानत राशि जमा करानी होगी। आंवटन उपरांत कार्य नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं पैनल से नाम हटा दिया जावेगा।
(ब) अमानत राशि पैनल अवधि समाप्त होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
- किसी भी आंवटित कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर निम्नानुसार पेनल्टी का प्रावधान होगा।

विलम्ब अवधि	शास्ति
1 से 15 दिवस तक	5 प्रतिशत (भुगतान योग्य राशि का)
15 से 30 दिवस तक	10 प्रतिशत
30 दिवस से अधिक	अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं कार्य अन्य को आंवटित किया जा सकेगा।

- भुगतान नियम निम्नानुसार होंगे :-


क्र०स०	कार्य का चरण	भुगतान योग्य राशि
1.	कन्सेप्चुअल डिजाइन एवं लागत का अनुमानित तखमीना प्रस्तुत करने पर	10 प्रतिशत
2.	अनुमोदन हेतु प्रारम्भिक डिजाइन एवं लागत का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत करने पर	20 प्रतिशत
3.	सुझावों अनुसार संशोधन कर ड्राईंग / डिजाइन प्रस्तुत करने पर	35 प्रतिशत
4.	वर्किंग ड्राईंग, स्पेसिफिकेशन, शिडयूल ऑफ क्वान्टिटी एवं टेण्डर डॉक्यूमेन्ट प्रस्तुत करने पर	55 प्रतिशत
5.	कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक समस्त ड्राईंग एवं विवरण प्रस्तुत करने पर	65 प्रतिशत
6.	(1) 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर (2) कार्य समाप्ति पर एवं वास्तविक ड्राईंग प्रस्तुत करने पर	80 प्रतिशत 100 प्रतिशत

अन्य शर्तें :-

- कार्य का विस्तृत विवरण एवं शर्तें आदि नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट <https://www.uitkota.org>, <http://urban.rajasthan.gov.in> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in>, पर एवं न्यास के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

2. उपरोक्तानुसार कन्सल्टेन्ट की तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है अथवा कन्सल्टेन्ट फर्म में उपरोक्तानुसार तकनीकी योग्यता रखने वाले तकनीकीविज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होना आवश्यक होगी।
3. उक्त कार्य हेतु आपसी सहमति अनुसार कार्य अवधि के दौरान निःशुल्क एवं सशुल्क विजिट देनी होगी एवं कार्य की डिजाईन अनुसार क्रियान्वयन एवं प्रगति के सम्बन्ध में आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
4. आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर का काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर/इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
5. पैनल निर्धारण पश्चात् कार्य की प्रकृति अनुसार, कार्य के आवंटन का अधिकार न्यास में सुरक्षित होगा।
6. पैनल निर्धारण के पश्चात् भी अतिरिक्त कन्सल्टेन्ट को न्यास द्वारा पैनल में जोड़ा जा सकेगा।
7. प्रारंभ में न्यास द्वारा पैनल दो वर्ष के लिये बनाया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार इसे नियमानुसार आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकेगा।

जो वास्तुविद्/टाउन प्लानर/फर्म उपरोक्तानुसार कार्य करने के इच्छुक हों वे निर्धारित योग्यता, अनुभव सहित दिनांक 09.01.2017 तक प्रस्ताव दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें।


अधिसापी अभियन्ता प्रथम
नगर विकास न्यास, कोटा